डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 – 191/2022

अनवान :–

1. राजपाल पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक भोजासर त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र धनपत जाति जाट निवासी चक भोजसर तहसील भादरा।
2. इन्द्रपाल पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक भोजसर तहसील भादरा।
3. चन्द्रकला पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक भोजासर त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लिलाधर अग्रवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री मदन कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता स0 62/11 के मु0न0 23, 24 के कुल किता 13 की कुल 2.454है0 में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह के नाम 455/1227 हिस्सा व रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता सं0 82/12 के मु0न0 21 के किला न0 16, 25 की कुल 0.177है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा चक 3 एमएसआर के खाता सं0 126/230 के मु0न0 24 के किला न0 4, 7 की कुल 0.5060है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा चक 2 बीएचडी के खाता सं0 86/15 के मु0न0 12 के किला न0 11, 12/1, 19/1, 20, 21/1, 21/2 की कुल 0.885 है0 में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 01 महेन्द्र सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजपाल तथा प्रतिवादी सं0 2 इन्द्रपाल को बहिस्सा बराबर के खोतदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.1.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 – 191/2022

अनवान : –

1. राजपाल पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक भोजासर त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र धनपत जाति जाट निवासी चक भोजसर तहसील भादरा।
2. इन्द्रपाल पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक भोजसर तहसील भादरा।
3. चन्द्रकला पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक भोजासर त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री लिलाधर अग्रवाल वादी
श्री मदनलाल कड़वासरा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 23.01.23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता स0 62/11 के मु0न0 23, 24 के कुल किता 13 की कुल 2.454है0 में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह के नाम 455/1227 हिस्सा व रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता सं0 82/12 के मु0न0 21 के किला न0 16, 25 की कुल 0.177है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा चक 3 एमएसआर के खाता सं0 126/230 के मु0न0 24 के किला न0 4, 7 की कुल 0.5060है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा चक 2 बीएचडी के खाता सं0 86/15 के मु0न0 12 के किला न0 11, 12/1, 19/1, 20, 21/1, 21/2 की कुल 0.885 है0 में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा धनपत की खातेदारी हुआ करती थी। प्रवितादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली । वाद भूमि में वादी तथा प्रवितादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी सं0 4 ने जवाब पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी राजपाल पुत्र महेन्द्र सिंह के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। जिसमें बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा दावा वादी डीक्री किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता सं0 62/11 के मु0न0 23, 24 के कुल किता 13 की कुल 2.454है0 में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह के नाम 465/1227 हिस्सा व रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता सं0 82/12 के मु0न0 21 के किला न0 16, 25 की कुल 0.177है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा चक 3 एमएसआर के खाता सं0 126/230 के मु0न0 24 के किला न0 4, 7 की कुल 0.5060है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा चक 2 बीएचडी के खाता सं0 86/16 के मु0न0 12 के किला न0 11, 12/1, 19/1, 20, 21/1, 21/2 की कुल 0.885 है0 में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह के नाम दावा भूमि के अलावा अन्य भूमि होने के कारण तथा प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः दावा वादी मुताबिक राजीनामा डीक्री योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः दावा वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता स0 62/11 के मु0न0 23, 24 के कुल किता 13 की कुल 2.454है0 में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह के नाम 465/1227 हिस्सा व रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता सं0 82/12 के मु0न0 21 के किला न0 16, 25 की कुल 0.177है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा चक 3 एमएसआर के खाता सं0 126/230 के मु0न0 24 के किला न0 4, 7 की कुल 0.5060है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा चक 2 बीएचडी के खाता सं0 86/15 के मु0न0 12 के किला न0 11, 12/1, 19/1, 20, 21/1, 21/2 की कुल 0.885 है0 में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 01 महेन्द्र सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजपाल तथा प्रतिवादी सं0 2 इन्द्रपाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़